# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ......(SDO) बायतु...... मुकाम ..........

.......... चन्दाराम .......... बनाम .......... खेराजराम वगैरा

किस्म मुकदमा ...धारा 111, 128 RLR Act... नं. ...119... सन् ...2022...

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/3/22 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम जाखड़... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR Act... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...19/4/2021... को पेश हो। (sd/-) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर | |
| 01/06/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस तामील शुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 01/06/2022 को पेश हो। (sd/-) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 01/06/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर (SDO)<br>बायतु<br>जिला – बाड़मेर |

न्यायालय उप...

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक वाद / 2022 / 312

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. चन्दाराम पुत्र जेसाराम, जाति जाट, निवासी सुजानिया नाडीया, पटवार मण्डल अकदडा तहसील बायतु (बाडमेर)

1. खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18, जाति मेघवाल, निवासी सुजानिया नाडीया, पटवार मण्डल अकदडा, तहसील बायतु (बाडमेर)

---

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

---

राजस्व आवेदन संख्या : 119 / 2022

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – सुजानिया नाडा, पटवार मण्डल – अकदड़ा तहसील – बायतु, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 408 रकबा 0.1375 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 920-924

दिनांक : 01/06/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चन्दाराम पुत्र जेसाराम,
4. विप्रार्थी श्री खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु